Subject: **Transferring RTI Application u/s 6(3) of RTI Act., 2005**

Date: 10/30/17 10:54

From: ANUGRAHIT TOPPO <anugrahit.toppo@nic.in>

To: secyhfw@gmail.com, soumya.s@nic.in, shioff@nic.in, secybm@nic.in, secy-ol@nic.in, secy-iscs@nic.in, secy-mhupa@nic.in, secy.sel@nic.in, secy.dhe@nic.in, secy.inb@nic.in, secydivest@nic.in, secy-jus@gov.in, sureshchandra@nic.in, gn.raju@nic.in, secretary-msme@nic.in, secy-mines@nic.in, secy-mnre@nic.in, secy-mopr@nic.in, secympa@nic.in, secy_mop@nic.in, secy-arpg@nic.in, secy-arpg@nic.in, sec.png@sb.nic.in, secy-power@nic.in, secy-road@nic.in, secyrd@nic.in, sinhaa5@nic.in, secylr@nic.in, dstsec@nic.in, vijay.dbt@nic.in, secyship@nic.in, secy-msde@nic.in, secywel@nic.in, secretaryda-msje@nic.in, chairman@isro.gov.in, tca.anant@nic.in, secy-steel@nic.in, secy-textiles@nic.in, sectour@nic.in, secy-tribal@nic.in, secyurban@nic.in, secy-mowr@nic.in, secy.wcd@nic.in, secy-sports@nic.in, secy-ya@nic.in, cs@and.nic.in, cs@ap.gov.in, csdelhi@nic.in, lk-admin@hub.nic.in, cs@pondy.pon.nic.in

MX-M452N_20171030_130954.pdf (110kB) MX-M452N_20171030_131124.pdf (78kB)

Sir,

Pl. find attached herewith RTI applications of S/Sh. Shahid Akhatar & Vikash Kumar for providing information directly to them.

With regards,

US/CPIO(RTI Cell)

Secy(WR)

JS(A)

490043/2017/Secretary Office

आईएनएफ/अक्तूबर /2017/आरटीआई एवं विधि प्रकोष्ठ-77
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
दिनांक 26/10/2017

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री-----शाहिद अख्तर-----के (दिनांक-11/10/17---का पत्र (जो कि ------------------------ से उनके दिनांक ---------- के पत्र के साथ प्राप्त हुआ)। इस पत्र की एक प्रति आपको सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित की जाती है। इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जानी है। प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन शुल्क अर्थात रुपये ---10/----जमा करा दिए हैं।

2. सूचना प्रदान करते समय, कृपया ध्यान दिया जाए कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना फा.सं34001/8(एस)2005-स्थापन (बी) के जो प्रशा.III द्वारा उनके पत्र सं. जैड01015/1/2005. प्रशास-IIIके द्वारा परिचलित की गई हैं, अनुसार अपेक्षित शुल्क लिया जाना है।

3. यदि वांछित सूचना का संबंध संबंधित प्रभाग से न हो अथवा सूचना का कुछ भाग अन्य प्रभाग अथवा लोक प्राधिकरण के पास हो तो संबंधित सीपीआईओ, आवेदन या उसके ऐसे किसी भाग को जो उपयुक्त हो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 5(4) तथा 6(3) के अंतर्गत संबद्ध प्रभाग/लोक प्राधिकारणों को अग्रेषित/अंतरित करें तथा आवेदक को ऐसे अंतरण के बारे में तुरंत सूचित करें। हालांकि, संबंधित प्रभाग/लोक प्राधिकरण का पता लगाने के उचित प्रयास के बावजूद यदि सीपीआईओ यह पता लगाने में सक्षम नहीं है कि कौन सा प्रभाग/ लोक प्राधिकरण सूचना से संबंधित है, तो उसे संबंधित प्रभाग/लोक प्राधिकरण के विवरणों को सूचित करना चाहिए जिसे आवेदन स्थानांतरण किया जा सके। हालांकि, यदि उसके निर्णय के विरूद्ध कोई अपील की जाती है, तो यह सिद्ध करना सीपीआईओ की जिम्मेवारी होगी कि उसने संबंधित प्रभाग/ लोक प्राधिकरण के विवरणों का पता लगाने के लिए उचित प्रयास किए थे।

4. यदि सूचना का कुछ भाग किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो, सीपीआईओ जो आवेदन प्राप्त कर रहा है उसे आवेदक को सूचित करना चाहिए कि सूचना संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे मामले में आवेदन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. उत्तर में अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता भी उल्लिखित किया जाए ताकि आवेदक यदि निर्णय से असंतुष्ट हो तो ऐसी अवधि की समाप्ति अथवा लोक प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपील कर सके।

मनजीत सिंह
(एम.एस.नायर)
उप-सचिव/संबद्ध अधिकारी(उप-सचिव(एल.एन)

1. श्री सी. [illegible], सीपीआईओ/अवर सचिव, प्रशा-I
2. श्री अनूप मलिक, सीपीआईओ/अवर सचिव, एल एंड ई
3. श्री एन.के. [illegible], सीपीआईओ/अवर सचिव, [illegible]
4. श्री एन.के. सिंह, सीपीआईओ/अवर सचिव, सी एल एस-I व II
5. श्रीमती बी. नीरजा, सीपीआईओ/अवर सचिव, आई एस एच I व II
6. सीपीआईओ/अवर सचिव, ई एंड ए
7. श्री [illegible] नोडल अधिकारी (आरटीआई) सी एल सी(सी)
8. नोडल अधिकारी (आरटीआई), डी जी एल डब्लू, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली
9. नोडल अधिकारी (आरटीआई) डीजीई
10. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (ई अंतरण के द्वारा)

प्रतिलिपि:-
श्री शाहिद अख्तर, 4060 सेक्टर 4बी, आकाशगंगा अपार्टमेंट, वसुंधरा, गाजियाबाद 201012.

CRU FTS NO 3397357
17/10/17

सेवा में   दिनांक 11-10-2017

जन सूचना अधिकारी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली - 110011

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्न सूचना देने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के अंतर्गत मुझे निम्न जानकारी चाहिए। इसके लिए अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क 10 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 43 एफ 186913 इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं।

RTI

मांगी गई सूचना की सूची

1. बताने का कष्ट करें कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में अनुबंध पर रखे गए/ कार्य कर रहे कर्मचारियों/ अधिकारियों की कार्य अवधि और मानदेय/ वेतन सहित उनकी सूची देने का कष्ट करें।
2. इन कर्मचारियों/ अधिकारियों की पंजीकृत नियोक्ता एजेंसियों के नाम व पते सहित सूची तथा उन्हें मिलने वाले कमीशन का ब्योरा दें।
3. बताने का कष्ट करें कि पाचं वर्ष से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की नीति की जानकारी दें। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में ऐसे कितने रिक्त पद हैं। पद व रिक्त अवधि सहित इनकी सूची दें। बताने का कष्ट करें कि ऐसे पांच साल से रिक्त चले आ रहे समाप्त किए गए पदों की सूची देने का कष्ट करें।
4. विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों वैसे कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी देने का कष्ट करें कि जिनका पद तो कुछ और है और उनसे काम कुछ और लिया जा रहा है। कार्यकाल व वेतन सहित ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची दें।

490043/2017/Secretary Office

5. बताने का कष्ट करें कि मुख्य श्रमायुक्त श्री बी.के.सांवरिया की तारीख 23 जनवरी, 2013 को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में काम करने वाले अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों/ अधिकारियों से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा दें।

6. बताने का क्रष्ट करें कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में पंजीकृत सेवा प्रदात्री कंपनियों के अतिरिक्त भी अनुबंध पर कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।अगर हां तो इनकी सेवा का संचालन जिन नियमों के तहत किया जा रहा है, उनकी जानकारी दें।

7. अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 की धारा 12,10, और 7 का पूरी तरह विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों का पालन करने की जानकारी देने का कष्ट करें।

8. विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा अनुबंध पर रखने के लिए अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 की धारा 2(1) (जी) के तहत प्रधान नियोक्ताओं की सूची पता व पद सहित देने का कष्ट करें। साथ ही यह भी बताएं कि किन किन कार्यों के लिए कर्मचारी व अधिकारी अनुबंध पर रखे गए हैं। इन कार्यों में अनुबंध पर लोगों को रखने के लिए सक्षम प्राधकारी द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दें।

भवदीय

शाहिद अख्तर

4060 सेक्टर 4 बी , आकाश गंगा अर्पाटमेंट

वसुंधरा, गाजियाबाद- 201012

490043/2017/Secretary Office

आईएनएफ/अक्तूबर/2017/आरटीआई एवं विधि प्रकोष्ठ-78

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

दिनांक 26/10/2017

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री विकास कुमार के (दिनांक- 11/10/17 का पत्र (जो कि ---------- से उनके दिनांक ---------- के पत्र के साथ प्राप्त हुआ)। इस पत्र की एक प्रति आपको सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित की जाती है। इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जानी है। प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन शुल्क अर्थात रुपये 10/- जमा करा दिए हैं।

2. सूचना प्रदान करते समय, कृपया ध्यान दिया जाए कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना फा.सं34001/8(एस)2005-स्थापन (बी) के जो प्रशा.III द्वारा उनके पत्र सं. जैड01015/1/2005. प्रशास-III के द्वारा परिचलित की गई है, अनुसार अपेक्षित शुल्क लिया जाना है।

3. यदि वांछित सूचना का संबंध संबंधित प्रभाग से न हो अथवा सूचना का कुछ भाग अन्य प्रभाग अथवा लोक प्राधिकरण के पास हो तो संबंधित सीपीआईओ, आवेदन या उसके ऐसे किसी भाग को जो उपयुक्त हो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 5(4) तथा 6(3) के अंतर्गत संबद्ध प्रभाग/लोक प्राधिकारणों को अग्रेषित/अंतरित करें तथा आवेदक को ऐसे अंतरण के बारे में तुरंत सूचित करें। हालांकि, संबंधित प्रभाग/लोक प्राधिकरण का पता लगाने के उचित प्रयास के बावजूद यदि सीपीआईओ यह पता लगाने में सक्षम नहीं है कि कौन सा प्रभाग/ लोक प्राधिकरण सूचना से संबंधित है, तो उसे संबंधित प्रभाग/लोक प्राधिकरण के विवरणों को सूचित करना चाहिए जिसे आवेदन स्थानांतरण किया जा सके। हालांकि, यदि उसके निर्णय के विरूद्ध कोई अपील की जाती है, तो यह सिद्ध करना सीपीआईओ की जिम्मेवारी होगी कि उसने संबंधित प्रभाग/ लोक प्राधिकरण के विवरणों का पता लगाने के लिए उचित प्रयास किए थे।

4. यदि सूचना का कुछ भाग किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो, सीपीआईओ जो आवेदन प्राप्त कर रहा है उसे आवेदक को सूचित करना चाहिए कि सूचना संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे मामले में आवेदन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. उत्तर में अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता भी उल्लिखित किया जाए ताकि आवेदक यदि निर्णय से असंतुष्ट हो तो ऐसी अवधि की समाप्ति अथवा लोक प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपील कर सके।

(एम.एस.नायर)

उप-सचिव/संबद्ध अधिकारी(उप-सचिव(एल.एन)

1. श्री सी एस राव, सीपीआईओ अवर सचिव, प्रशा-I
2. श्री अजय मलिक, सीपीआईओ अवर सचिव, एल एण्ड ई
3. श्री एस के पाण्डे, सीपीआईओ अवर सचिव, एल एण्ड ई
4. श्री एस के सिंह सीपीआईओ अवर सचिव, सीएलएस I व II
5. श्रीमती बी. नीरजा, सीपीआईओ अवर सचिव आईआर एच I व II
6. सीपीआईओ अवर सचिव, ई एण्ड ए
7. श्री एस के अरोरा, नोडल अधिकारी (आरटीआई) % सीएलसी(सी)
8. नोडल अधिकारी (आरटीआई) डीजी एलडब्ल्यू, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली
9. नोडल अधिकारी (आरटीआई) डीजीई
10. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (ई अंतरण के द्वारा)

प्रतिलिपि:-

श्री विकास कुमार मकान न. 163, मुनीरका गांव, नई दिल्ली-110067.

490043/2017/Secretary Office

17/10/17

सेवा में,

ATOPPO
20/10
RP

3073/RTI & Legal cell
23/10/17

जन सूचना अधिकारी
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार,
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली 110001

RTI

दिनांक : 11/10/2017

महोदय

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना देने की कृपा की जाए ।

1. क्या दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार मे कार्यरत दैनिक मजदूर का मासिक मजदूरी समान है ? यदि नहीं तो दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा क्रमशः दैनिक मजदूरों को दी जाने वाली मासिक मजदूरी क्या है ?

2. क्या तीन साल से अधिक समय से कार्यरत दैनिक मजदूर तदर्थ बोनस, चिकित्सा सुविधा, अवकाश पाने के हकदार हैं ? यदि हाँ तो उसका ब्योरा दी जाए एवं किस प्रकार के अवकाश के हकदार हैं ?

3. केंद्र सरकार के प्रत्येक विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में अस्थायी कर्मचारी एवं दैनिक मजदूर को दी जा रही वेतन/मजदूरी का ब्योरा दी जाए ।

4. क्या केंद्र सरकार के कार्यालयों मे दैनिक मज़दूर व स्थायी कर्मचारी के दैनिक कार्य समय (Working hours) समान है ? यदि नहीं, तो दोनों के कार्य समय का ब्योरा दी जाए और दैनिक मजदूर को छुट्टी के दिन दी जाने वाली मजदूरी का भी ब्योरा दिया जाए ।

कृपया उक्त मांगी गयी सूचना हिन्दी में ही उपलब्ध करवाएँ ।

इस आवेदन के सात फीस के रूप में 10/- रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर (No. 43F 172320 संलग्न की जा रही है ।

(10)

संलग्न : यथोपरि

विकास कुमार
11/10/2017

(विकास कुमार)
मकान न. 163,
मुनिरका गाँव, नई दिल्ली 110067